कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

।। कार्यालय–आदेश ।।

NON-TSP

राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के प्रावधानुसार गठित विभागीय चयन समिति द्वारा पृष्ठांकित सूची अनुसार तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों को वर्ष **2018–19** की रिक्तियों के विरूद्ध **वरिष्ठ अध्यापक–विज्ञान एवं गणित**(द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक) (पे–मेट्रिक्स लेवल 11) के पद पर पदोन्नति हेतु चयन किये जाने से इन्हे वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जाकर पदस्थापन स्थान उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में किया जाता है।

इन्है दिनांक **25-09-2018** तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। **निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर इनका स्वतः पदोन्नति परित्याग माना जावेगा।** इनका पदोन्नति पर वेतन राजस्थान सेवा नियम 26 "ए" के प्रावधानानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना में नियमानुसार निर्धारित किया जावें। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7 (1)कार्मिक/ क–2/95 दिनांक 20-06-01 एवं 08-04-03 के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्य कर्मी जिनके दिनांक 01-06-02 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक संतान हा तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होगें। अतः संस्थाप्रधान कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगें कि इनके 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से सन्तानों की कुल संख्या दो से अधिक नहीं हुई है। अन्यथा संबंधित संस्थाप्रधान राज्य सरकार की अधिसूचना के उल्लघंन के लिए व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें। साथ ही यदि किसी कार्मिक के वर्तमान में निलम्बन अथवा सीसीए 16 ,17 के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिक को पदोन्नति पर कार्यमुक्त न करें एवं सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से अविलम्ब निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें। **संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को स्वीकृति हेतु दिनांक 25-09-2018 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।** पदोन्नति सूची मे ऐसे कोई शिक्षक जो पूर्व में ही वरिष्ठ अध्यापक या उच्च पद पर अथवा विभाग मे कार्यरत नही हो तो उनकी सूचना भी मण्डल कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी को भिजावे। वर्तमान पदस्थापन स्थान परिवर्तन की स्थिति मे उक्त आदेश संबंधित संस्था प्रधान को वाहक स्तर पर भिजवाया जावे। पदोन्नति परित्याग की स्थिति मे चयनित वेतनमान के संबंध मे राज्य सरकार के प्रचलित आदेशानुरूप कार्यवाही की जावेगी।

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इन कार्मिको की पदोन्नति पर कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण एवं परित्याग की समेकित सूचना कार्यग्रहण दिनांक के एक सप्ताह के अंदर मण्डल कार्यालय को वाहक स्तर पर उपलब्ध करावेगे। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण मूल जिले से अन्य जिले में हो गया है तो आदेश प्रभावी नहीं होगा। संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/रामावि इन पदोन्नत अध्यापकों को इनके नाम के सम्मुख विषय के रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण करावें। **"पदोन्नत शिक्षकों के पदोन्नति/पदस्थापन आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न याचिकाओं में प्रदत अन्तरिम आदेश व अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगें।"**

संबंधित संस्थाप्रधान पदोन्नत कार्मिको के विषय का प्रमाणीकरण स्नातक की मूल अंकतालिका से करते हुऐ शाला दर्पण अनुसार कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण करावें। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए इस कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं ई–मेल पर तुरन्त सूचित करेंगें।

(युगल बिहारी दधीच)
शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

क्रमांकः–शिउनि–मा/उदय/संस्था–ब/फा–1081–85/2018–19/**625** दिनांक **15.09.2018**

प्रतिलिपी–सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर मण्डल, उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,.............................
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पं.स.............................
6. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि.............................
7. संबंधित कार्मिक/व्यक्तिगत पंजिका
8. वरिष्ठता/संस्था–स अनुभाग, कार्यालय हाजा

शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक(माध्यमिक) उदयपुर मण्डल उदयपुर

क्रमांकः– शिउनि–मा/उदय/संस्था–ब/फा–1081–85/2018/ 625 दिनांकः– 15.09.2018

नान टीएसपी– गणित

क्र. सं.	मण्डल स्थाई वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	जाति	पदोन्नित पर पदस्थापन स्थान राउमावि/रामावि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	17A	2012-13	आकांक्षा मुदगल राउप्रावि देवडो का खेडा हाल केजीबीवी सामरी बयाना, भरतपुर राजसमन्द	24-07-1988	GEN	बा. दिवेर–भीम	राजसमन्द
2	27-A/2012-13	2012-13	उमा शर्मा राबाउप्रावि अरनोदा निम्बाहेडा, चितौडगढ	25-12-1985	GEN	अरनोदा–निम्बाहेडा	चितौडगढ
3	38/2012-13	2012-13	अखिलेश नागौरी/शान्तिलाल रामावि राजपुरा भीण्डर, उदयपुर	25-06-1976	GEN	राजपुरा–भीण्डर	उदयपुर
4	152-A/2012-13	2012-13	घनश्याम वर्मा राउप्रावि बडवाई भूपालसागर, चितौडगढ	01-06-1989	SC	जाशमा–भोपालसागर	चितौडगढ

नान टीएसपी– विज्ञान

1	283/2012-13	2012-13	श्री कृष्ण गोपाल भूराडिया, राउप्रावि देवरी ,बडीसादडी चितौडगढ	07-07-1985	SC	विनायका–बडीसादडी	चितौडगढ

(युगल बिहारी दाधीच)
शिक्षा उपनिदेशक(माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल उदयपुर